

हरयाणा में नई SC आरक्षण श्रेणियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरयाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिये **अनुसूचित जातियों (SC)** के भीतर उप-वर्गीकरण लागू किया।

प्रमुख बातें

- सर्वोच्च न्यायालय के उप-वर्गीकरण पर निरिण्य:
 - 1 अगस्त 2024 को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यों को **अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी** के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है, जो इसकी सामाजिक विविधता को स्वीकार करता है।
 - इस फैसले के बाद, हरयाणा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी।
- हरयाणा में उप-वर्गीकरण:
 - हरयाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित करने की सफारिश की:
 - वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC): इसमें धानक, बालमीकी, मज़हबी समिति और खटीक जैसी 36 जातियाँ शामिल हैं, जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण नौकरियों में SC आरक्षण कोटे का 50% प्राप्त होगा।
 - अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC): इसमें चमार, जटिया चमार, रेहगर, रेगर, रामदासी, रवदिसी, जाटव, मोर्ची और रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
- हरयाणा में DSC के लिये शैक्षकि कोटा:
 - वर्ष 2020 में, हरयाणा ने अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम लागू किया, जिसके तहत उच्च शक्षिका संस्थानों में अनुसूचित जाति की 50% सीटें DSC श्रेणी के लिये आरक्षित कर दी गईं।